### कार्यालय महाप्रबंधक म.प्र. ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट E-mail – gm\_bgtplu1@rediffmail.com - 07632240334

पत्र क.143 / तक / मप्रयासप्रा / 2024 बालाघाट दिनांक 19/01/2024 प्रति, वनमंडलाधिकारी दक्षिण वनमंडल (सा.) बालाघाट बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत हल्बीटोला भालवा कालागोटा विषय :--केशा माटे मार्ग निर्माण हेतु 2.25 हेक्टयेर वन भूमि म.प्र.ग्रामीण विकास प्राधिकरण बालाघाट को उपयोग कर देने बाबद। (ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/Road/155435/2022 ) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ–5/1248/2023/ संदर्भ :--10-11/166 भोपाल दिनांक 08.01.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में लेख अनुसार बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत हल्बीटोला भालवा कालागोटा केशा माटेँ मार्ग निर्माण हेतु 2.25 हेक्टयेर वन भूमि म.प्र.ग्रामीण विकास प्राधिकरण बालाघाट को उपयोग कर देने के संबंध में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी कर पालन प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त संबंध में सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त के तहत NPV तथा क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि आवेदक विभाग द्वारा प्रकरण में दिये गये निर्देशों के तहत राशि केम्पा मद में जमा कर ऑनलाईन चालान की प्रति एवं परिवेश पोर्टल पर अपलोड की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। म्यूटेशन की कार्यवाही पूर्ण कर पोर्टल में अपलोड किया गया है। सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्ते (भाग A अन्तर्गत 1 से 15 एवं भाग B अन्तर्गत 1 से 17) का शर्तवार पालन प्रतिवेदन एवं भविष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति द्वारा नेट प्रजेन्ट वेल्यू (NPV) की दर निर्धारित की जाती है तो उक्त आकलित अंतर की राशि का भुगतान किये जाने संबंधी लिखित वचन पत्र मय अभिलेख सहित आपकी ओर 02 प्रतियों में प्रेषित है।

कृपया हल्बीटोला भालवा कालागोटा केशा माटे मार्ग निर्माण हेतु 2.25 हेक्टयेर वन भूमि में सड़क निर्माण की औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें, जिससे सड़क निर्माण क्रार्य पूर्ण कराया जा सके।

उपरोक्तानुसार संलग्न :--

Gendrick प्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

बालाघाट, दिनांक 19/01/2024

प. क्र.144/तक/मप्रग्रासविप्रा/2024 प्रतिलिपी:-

- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 2. मुख्य वन संरक्षक बालाघाट, वनवृत्त बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
- 3. कलेक्टर बालाघाट, जिला बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित। 4. उप वनमंडलाधिकारी लांजी (सा.) उपवनमंडल लांजी की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।
- 5. वन परिक्षेत्र अधिकारी हट्टा (सा.) परिक्षेत्र की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य के सूचनार्थ।

म.प्र. ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

## General Manager M.P.R.R.D.A.P.I.U.-1 Balaghat

### Name of Road - Halbitola Bhalwa Kalagota Kesha Mate, 2.25 Hact. Proposal No. - FP/MP/Road/155435/2022

क्र.	वन विभाग द्वारा अधिरोपित शर्ते	आवेदक विभाग द्वारा अधिरोपित शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन
A	Conditions which need to be complied prior to handing over of	
1	The cost of compensatory afforestation on the $2.25x2=4.50$ ha. (out of 89.255 ha.) Chhote-Bade Jhad ka Jungle land at prevailing wage rates as per compensatory offorestation scheme (including cost of survey demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land againgst encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate. provisions for anticipated cost increase for works	शर्त के पालन में तैयार वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना 89.255 हेक्टेयर राशि रू. 26485020.00 ऑनलाईन केंपा मद में जमा करा दी गई है।
2	scheduled for subsequent years. The Chhote-Bade Jhad ka Jungle land shall be transferred and mutated in fovour of state forest department and documents shall be submitted.	उक्त गैर वन भूमि को वन विभाग के नाम हस्तातंतरण करा दी गई है। कलेक्टर बालाघाट के आदेश पत्र पृ. क्रं. 6333 दिनांक 05.12.2022 द्वारा वन विभाग को हस्तांतरण की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। खसरा P2 की छायाप्रति संलग्न है।
3	The Chhote Bade Jhad ka Jungle land which is transferred and mutated in favour of the State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as reserved forest under section-4 or protected forest under section 29 of the Indian forest Act, 1927 or under the relevant section (S) of the State Forest Act, A Copy of PF/RF notification may be submitted with Stage-I compliance report.	वन विभाग से संबंधित है।
4	Cost at compensatory afforestation on the 36.00 ha Degraded forest land (Consolited for six proposals) at prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate. provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	RDF क्षेत्र में तैयार की गई 36.00 हेक्टर की एकजाई 6 प्रस्तावों में राशि रू. 13443364.00 केम्पा मद में ऑनलाईन दिनांक 04.01.2024 को जमा कराई जा चुकी है।

म.प्र.ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण परि. कियान्वयन ईकाई क.1.बालाघाट

1		Υ
5	The Concern DFO shall submit proposal wiseKML File/Geo reference map (NFL and DFL both) of CA areas at the time of stage-II approval.	KML File परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।
7	The state Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 2.25 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003 as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006. 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 & 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06/01/2022 in this regard. All the funds received from the user agency under the project shall be transfer Vide in the funds received from the user agency under the	2764328.00 दिनांक 04.01.2024 को जमा करा दी गई है। <b>(छायाप्रति संलग्न है।)</b> । बैकल्पिक वृक्षारोपन में NPV की राशि
8	project shall be transferred/deposited in CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/) Complete compliance of the FRA 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the cocreneded District Collector.	ऑनलाईन केम्पा मद में जमा कर दी गई है। FRA प्रमाण पत्र कलेक्टर बालाघाट द्वारा निर्धारित प्रपत्र में भेजा गया है। (छायाप्रति संलग्न है।)
9	All conditions of CWLW/SBWL/NBWL shall be stricty complied wherever applicable.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
10	The User Agency shall submit road side plantation scheme in consultation with the State Forest Department and the plantation shall be carried out by SFD at the cost of User Agency.	मार्ग की चौडाई 7.50 मी. पेड लगाना संभव नही है मार्ग के दोनो किनारे में पूर्व से ही पेड लगे हुए है। वन अधिकारी वनमंडल के द्वारा वृक्षारोपण किया जाना है।
11	The User agency shall submit on undertaking that no muck shall be disposed off in forest land.	मार्ग निर्माण में निकलने वाली उपयोगी मिट्टी Emabankment बनाने में किया जावेंगा तथा शेष अनुपयोगी मिट्टी मार्ग के समतलीकरण में उपयोग की जावेंगी। अतः Muck वन क्षेत्र में कहीं भी नहीं डाला जावेंगा। (वचन पत्र संलग्न है।)
12	The KML files of Diverted and CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite	व्यपवर्तित वन क्षेत्र की KML File, e-Green Watch अपलोड कर दी गई है।
13		आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
		1004

महाप्रबंधक म.प्र.ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण परि. कियान्ययन ईकाई कं.1.बालाघाट

1		
14	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	प्रथम चरण में अधिरोपित शर्तो A & B का पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
15	In case working permission is granted by the State Forest Department a copy of the same shall be submitted with copliance report of Stage-I approaval.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
В	Conditions which need to be strictly complied on field after Agency by the State Forest Department but the compli- submitted prior to Stage-II	ance in form of undertaking shall be approval
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 4.50 ha. (out of 89.255 ha.) Chhote - Bade Jhad ka Jungle land at Khasra No. 210/1, 264/1 Village-Sunder, Tehsil-Tirodi District- Balaghat at the cost of the user angcy. As far as possible a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species especially non native species shall be avoided.	
3	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 36.00 ha. Degraded forest land (Consolidated for six proposal) at forest comptt/Survey no.RF-359 Forest range East Lanji Tahsil Lanji District- Balaghat at the cost of the user agency. As far as possible a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species especially non native species shall be avoided.	वन विभाग से संबंधित है।
4	Additional amount of NPV of the diverted forest land if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert. Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency Shall furnish an undertaking to this effect.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं वचन पत्र संलग्न है।
5	The User Agency shall restrict felling of trees to the enumerated 131 number/minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict Supervision of the State Forest Department or the cost of fellling of tress shell be deposited by the User Agency with the State Forest Department and State Forest Department shall undertake the felling.	Constantingen Aus Aufordungen Aus
6	Boundary of the diverted forest land shall be sutably demarcated on ground at the project cost.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।

महाप्रबंधक म.प्र.ग्रामीण सड्क विकास प्राधिकरण परि. कियान्वयन ईकाई छं.1.बालाघाट

1		
7	User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.	इस संबंध में अनुरोध है कि यह Road Singal lane है तथा किनारे–किनारे वृक्ष लाये हुए है। अतः वृक्षारोपण की आवश्यकता नही है।
8	Speed regulating signage will be erected all along the road at regular intervals in the protected Areas/forest	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
9	Areas. Layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
10	No labour camp shall be established on the forest land.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
11	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा। ,
12	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
13	The period of diversion under this approval shall be co- terminus with the project life.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
14	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
15	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of all the Acts. Rules, Regulation, Guidelines. Hon'ble Court Order (s) and National Green Tribunal Order(s) pertaining to this project, if any for the time being in force, as applicable to the project.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा। '
16	The forest land proposed to be divered shall under no circumstances be transferred to any other agencies department or persion without prior approval of Central Government.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
17	Any other condition that the Ministry of Environment Forest & Climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।

General Manager M.P.R.R.D.A.P.I.U.-1 Balaghat

	-	से (9) तक में प्रथिध्यों में			122-23 एवं आदेश रू 18/12/2023 को खसरा		.५९ वर्ष 2022-२३ आदेश विभाग को हस्तांतरित
ad, 2023-2024	<ol> <li>भूमि के सिणाई संबधी प्रास्थिति</li> <li>भूमि पर संरचना तृष्ठ</li> <li>२००००० अधिकतित्याँ</li> </ol>	र भाष के योगने कॉल्फ्स सख्या (1) से (9) तक में प्रथिष्टियों में सुधार के आदेग		12	मलेक्टर द्वारा प्र. क. 0029/अ-59/2022-23 एवं आदेश दिनांक05/12/2022के अनुसार दिनांक 18/12/2023 को खसरा	टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज	म.प्र.शासन बडे झाड़ का जंगल न्यायालय कलेवटर रा प्र क्र ००२१/अ-५९ वर्ष 2022-२३ आदेश दिनांक ०५/१२/२०२२ के अनुसार वन विभाग को इस्तांतरित
Zinki	ण्यारे	प्तरास्त्र के अधीन शेवपत्त्र		11			
जिल्भा बालागट	फ्ताल के व्यरि	फसल्ज 1. खरीफ 2. खी	3. जागद 4. अन्य	10			
। यहनील्फ तिरोक्षे विल्	પૂનિ પર વિદ્ધુગ્રામ સગ્રા प्रापार 1 अंग्रेल <sup>1</sup>	2. दृष्टिवंडच 3. प्-अजन प्रक्रियाधीन	1	6		-	-
	मीरगी कृतक (सदि कोई हो) क्या नाम	उराफी चाता/पिता/पति यग नाम तथा निवास थग पता		8			
तहमील्ड तियेडी	1. सरकारी पहेंचार का नाम, चराकी	गाता/पिता/पति यग नाम तथा निषास था पता 2. पूर्व की	अवार 3. १८ के अधीन होत्र	7			
-	मनेक भूति व्यक्ति	ख्र <u>ा</u> स		9	-		
		2. માસવંગય પૂર્ભ		5	(शासावीरेय) मध्यप्रदेश शासान	े पता थालाधाट मध्य प्रदेश । शासकीय	-
पटवारी हत्का। सुनुदर	1. पंतपाल (हेवटेयायना गीटर पे)	2. भूग उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है	3. 4. यजस्था/म माटक (ए.	4	17.4010 हेवटेयर	₹.0.00	•
	Y. Unc			m			
	भून के भाग का प्राप्तार			2	210/1 (S)		
11-1- 21-23	1911년 - 1911년 - 1911년 -			1	120966 2842	ZDLAO	MDCOD 94H0

dialle \* 410 म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण **ध**रि. क्रियान्वयन ईकाई कं.1.बालाघाट महाप्रबंधक

Page 1 of 1



\*

(5.

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1 Date: 2024.01.08 18:49:17 IST Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy CLR No. : 11090420499

.

	•	
-		
	•	
	•	

CLR No. : 11090420491

मध्यप्रदेश कान्प्यूरेशेकृत भू-अभिलेख उउत्तरा मस्य एक (नियम 6 देखिर) मयन, 2020

.

		4년: 2023-2024	1. भूनि के सिंचाई संरंग प्रास्थिति 2. भूनि पर सरवना /वृक्ष	. अन्य आप्याक्तया 4. वर्ष के दौराने कॉल्म संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुवार के आदेता			•	12	कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0029/अ-59/2022-23 एवं आदेश	दिनाक05/12/2022के अनुसार दिनाक 18/12/2023 को खसरा दिप्पणी में परिवर्तन दर्ज	ਸ.ਮ.शासन बडे झाड़ का जंगत न्यायास्या क्लेक्टर या म = ०००० म्था ५० - र्न ०००० - १	र्या समय स्थान र प्राय में स्थान र प्राय न 2022-र ३ आदश दिनॉक ५/१२/२०२२ के अनुसार वन विमाग का हस्तांतरित
		নিলা: ৰাম্যায়া	फ्सल्ड के स्वर्ति •	प्रसत्न के अर्थान सेवपत्न	•	-		11				42
2020		जिल्ताः	प्रसन् <u>ठ</u>	फल्ल 1. खरीफ	5. 3. 3.	<b>4.</b> अन्य		10				
ייייי גיאימיי מען אישויאשן וזמי, 2020	1		भूमि पर दिह्हंगम तथा प्रभार 1. वंशक '	2. दृष्टिवंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन				6			•	
<ol> <li>X - 14 - 24 - 44</li> <li>X - 14 - 44</li> <li>X -</li></ol>			मरिती कृपक (यदि कोई हो) का नाम,	भावए। भवारपात उसकी का नाम तथा माता/पिता/पति निवास का पता का नाम तथा टे फर्म के				8				
		אופעוונאי ועק	1, सरकार पहेंदार का नाम, उसकी	भात्म/गपता/पात का नाम तथा निवास का पता २ को की	अवधि भा अवधि भा अ. स्ट्रे के	에비더 <del>해</del> 되		- <u>-</u>				
•		1	स्वामी से	음·음			ŀ	0	-			
•	भुनदर	1. भूनित्वानी का नान जन्मकी मात्रा	/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. भारतकीय पनि	8			Ľ		(शासकाय) मध्यप्रदेश शासन	मतां बालाघाट मध्य प्रदेश शासकीय	-	
	पटवारी हल्काः सुनुदर				1441 141 ह 3. पू. राज स्थ/पू.	भाटन (ह. मे)	4	74 05 40		₹.0.00		
and the second second		5	खण्ड संख्यांक (हर्ज़क				3		,			
New A Contract of the		を見	प्रकार (सर्वेसण आधान	(हर्ग्स्व संख्यांक)			7	PRAM	(S)			
	5T		यनिक आईडी				-	124664		7DLCR		

,

+ SER 75 104 記 ю

मेहाप्रबंधक म.प्र.ग्रामीण सड्क विकास प्राधिकरण परि. कियान्वयन ईकाई छ.१.बालाघाट

R

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1 Date: 2024.01.08 18:49:18 IST Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy CLR No. : 11090420491

.

Page 1 of 1

Demand			<u>Generated</u> <u>Challan</u>	in a	d an	देखः	
		02-Jan-24	Union Bank Of India	NEFT/RTGS (Challan)	02-Jan-24	04-Jan-24	
Fund Demand	Verified by Nodal Officer	 0	Bank Name :	Payment :	Challan Generated On : Transaction	Date	
Paid				ज (दा - <b>२९</b> ७)	NG 가지 Maria 4	्रि ॥ ॥ २ जनसम्ब	
	-/0	-/0	-/0	-/0			
	Addl CA :	CAT :	Addl PA :	2764328/- , Other Charges :			
	26485020/- , Addl CA :	, -/0	, -/0	2764328/- ,	13443364/-	-/0	42692712/-
	CA:	PCA:	Safety Zone:	NPV:	CA RDF :	Other Charges2 : Other Charges3 :	Total :
11-Nov-23							
61155435846 11-Nov-23							
FP/MP/ROAD/1554 R0AD1554352 35/2022			Halbitola bhalwa kalagota kesha mate under RCPLWEA Scheme				
2							

मेहाप्रबंधक **१.९.**ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण **ध**रे. कियान्वयन ईकाई छं.१.बालाघाट

.

\$

Online payment history made by User Agency under CAMPA

## -: जिला स्तरीय वन अधिकार समिति का सहमति पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है :-

1- आवेदक विभाग "महाप्रबंधक, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक 01 बालाघाट" द्वारा "हल्बीटोला भालवा मार्ग से कालागोटा केसा माटे सडक निमार्ण कार्य" हेतु तहसील किरनापुर आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के वन कक्ष क्रमांक P703 के वन क्षेत्र में 2.25 हेक्टेयर वन भूमि हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र मांग की गई है।

2- ग्राम पंचायत केसा, माटे जनपद पंचायत किरनापुर के द्वारा उक्त कार्य हेतु सहमति व्यक्त की गई है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परांपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओ /प्रतिक्रियाओ का पालन पूर्ण कर लिया गया है एवं हक प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु कोई भी व्यक्तिगत/सामुदायिक दावे लंबित नही है एवं उक्त क्षेत्र में किसी भी दावेदार को वन अधिकार हक प्रमाण पत्र पात्र/अपात्र नही किया गया है। ग्रामसभा की बैठक में 50% से अधिक सदस्य उपस्थित हुए।

3- उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति किरनापुर के द्वारा "हल्बीटोला भालवा मार्ग से कालागोटा केसा माटे सडक निमार्ण कार्य? हेतु वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए सहमति/अनुशंसा की गई है।

4- वन भूमि के व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले प्रयोजन के निर्माण से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है।

अतः उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति के सहमति के आधार पर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति उक्त कार्य हेतु अपना अभिमत/सहमति प्रदान करती है।

(सचिव)

रतापप) सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग बालाघाट जिला स्तरीय वन अधिकार समिति बालाघाट **(सदस्य)** वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वन मंडल बालाघाट जिला स्तरीय वन अधिकार समिति बालाघाट

(अध्यक्ष) कलेक्टर जिला बालाघाट जिला स्तरीय वन अधिकार समिति बालाघाट

ok

#### FORM-I

#### Annexure-I

#### (For Linear Projects )

Government Of Madhya Pradesh

Office of the District Collector, Balaghat

No. 2181

Dated 8 6 2023

### TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of Indias letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right Act, 2006 FRA,for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF'sletter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain reiaxation in respect of lioner projects, it is certified that 16.65 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of General Manager, Rural Roads Development Authority Project Implementation Unit No. 01 Balaghat, (name of user agency) for Halbitola Bhalwa Road To Kalagota Kesa Maate Road Construction Work (purpose for diversion of forest land) in Balaghat district falls within jurisdiction of South Balaghat Forest Division, Forest Range- Balaghat (T.) Forest Block Kirnapur Tah./Block Kirnapur, Village- Kesa, Maate No. P703 Total Area 2.25 Hec. in Forest land village(s) in Kirnapur tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.25 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 01 to annexure 02.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been complaeted and the Gram Sabhas have given their consent. to it;
- (c) (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal Groups and pre agricultural communities.

Encl: As above:

(full name and istrict Collector)

--: वन क्षति नही किये जाने के संबंध में प्रमाण पत्र :--

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत **हल्बीटोला भालवा** कालागोटा केशा माटे लम्बाई 6.00 कि.मी. मार्ग में वन परिक्षेत्र हट्टा (सा.) परिक्षेत्र अन्तर्गत वन कक्ष क्रमांक 703 रकबा 2.25 हेक्टेयर प्रस्तावित वन भूमि में सड़क निर्माण के दौरान कोई भी वृक्ष नही काटे जावेगें। इस हेतु आवेदक विभाग वचनबद्ध है।

र्धधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अप्रियौजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट -: NPV की अतिरिक्त राशि जमा संबंध में प्रमाण पत्र :--

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत **हल्बीटोला भालवा** कालागोटा केशा माटे लम्बाई 6.00 कि.मी.मार्ग में वन परिक्षेत्र हट्टा (सा.) परिक्षेत्र अन्तर्गत वन कक्ष क्रमांक 703 रकबा 2.25 हेक्टेयर प्रस्तावित वन भूमि में सड़क के निर्माण के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय भारत द्वारा गठित कमेटी द्वारा भविष्य में NPV की दर निर्धारित की जाती है एवं अधिरोपित शर्तानुसार अंतर की राशि मांग की जाती है तब अंतर की राशि भुगतान करने हेतु आवेदक विभाग वचनबद्ध है।

द्यप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अप्ररियौजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

## --: Muck के उपयोग हेतु वचन पत्र :--

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत **हल्बीटोला भालवा कालागोटा केशा माटे लम्बाई 6.00 कि.मी**.मार्ग में वन परिक्षेत्र हट्टा (सा.) परिक्षेत्र अन्तर्गत वन कक्ष क्रमांक 703 रकबा 2.25 हेक्टेयर प्रस्तावित वन भूमि में सड़क के निर्माण के दौरान मार्ग निर्माण में निकलने वाली उपयोगी मिट्टी Embankment बनाने में किया जावेंगा तथा शेष अनुपयोगी मिट्टी मार्ग के समतलीकरण में उपयोग की जावेंगी। अतः Muck वन क्षेत्र में कहीं भी नहीं डाला जावेंगा। इस हेतु आवेदक विभाग वचनबद्ध है।

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट



कार्यालय महाप्रबंधक

मं. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रं.–1, बालाघाट फोन नं. – 07632– 240334, E-mail - gm\_bgtpiu1@rediffmail.com

ज्ञापन क्रमांक 红 / लेखा. / 2023 प्रति,

बालाघाट दिनांक 02 / 01 / 2024

शाखा प्रबंधक सेन्टल बैंक ऑफ इंडिया शाखा– बालाघाट (म.प्र.)

Ad-HOC CAMPA मद में राशि NEFT/RTGS करने बाबत्। विषय :--

उपरोक्त विषयांतर्गत CAMPA Fund के निम्नलिखित खाता क्रमांक में राशि जमा किया जाना है। जिस हेतु चैक क्रमांक 596274 दिनांक 02.01.2024 राशि रू. 8,92,32,075..00 ( आठ करोड़ बयानवे लाख बत्तीस हजार पछहत्तर मात्र) संलग्न कर सादर प्रेषित है। कृपया उक्त चैक खाते में NEFT/RTGS करते हुए CRN (Cyber Receipt No.) प्रदाय करने का कष्ट करें।

-00-

खाते का विवरण निम्नानुसार है:-

S.N o	Beneficiary Name	IFSC Code	Pay To Account NO.	Amount	Bank Name & Address
1	MADHYA PRADESH CAMPA	UBIN0996335	1507661156162064	8086706	Union Bank Of India
2	MADHYA PRADESH CAMPA	UBIN0996335	1507661155399433	1871143	FCS Centre,21/1, III
3	MADHYA PRADESH CAMPA	UBIN0996335	1507661155435846	42692712	Floor, Jelitta Towers,
4	MADHYA PRADESH CAMPA	UBIN0996335	1507661155818528	12296113	Mission Road, Bengaluru-560027
5	MADHYA PRADESH CAMPA	UBIN0996335	1507661156107384	24285401	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
			र्योग	89232075	

CBINR52024010410006339 BINR 52024010410006405 3JNR52024010410006439 BINR 520 240 104 1000 7052 INR 5202 40 1041 000 7087



म.प्र. ग्रामीण सड़के विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र.–1, बालाघाट

19

AGE	NCY COPY
यूनियन बैंक भाष प्रीक्ष	
S HIFET Andhra	Corporation

#### NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 02-01-2024

Agency Name.	MPRRDA PIU-1 BALAGHAT
Application No.	61155435846
MoEF/SG File No.	6-MPB032/2023-BHO
Location.	MADHYA PRADESH
Address.	Near RTO Office Civil LineBalaghat
Amount(in Rs)	42692712/-

Amount in Words :Four Crore Twenty-Six Lakh Ninety-Two Thousand Seven Hundred and Twelve Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1507661155435846 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

 This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only BANK COPY यूनियन बैंक O Union Bank sive इंडिया water state अगल्प्रा अगल्प्रा अगल्प्रा

### NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 02-01-2024

Agency Name.	MPRRDA PIU-1 BALAGHAT
Application No.	61155435846
MoEF/SG File No.	6-MPB032/2023-BHO
Location.	MADHYA PRADESH
Address:	Near RTO Office Civil Line Balaghat
Amount(in Rs)	42692712/-

Amount in Words :Four Crore Twenty-Six Lakh Ninety-Two Thousand Seven Hundred and Twelve Rupees Only

# NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1507661155435846 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

 This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Print Back

भरू।प्रब वयग म.प्र.ग्रामीण सड्क विकास प्राधिकरण भू मरि. कियान्वयन ईकाई कं.1.बालाघाट